

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 124]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 14, 1965/भाद्र 23, 1887

No. 124]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 14, 1965/BHADRA 23, 1887

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

RESOLUTION

TARIFFS

New Delhi, the 14th September 1965

No. 16(1)-Tar/64.—The Tariff Commission has submitted its Report on the continuance of protection to the Safety Match Industry on the basis of an inquiry undertaken by it under Sections 11(e) and 13 of the Tariff Commission Act, 1951. Its recommendation is that the indefinite protection to the Safety Match Industry may be withdrawn.

2. Government accept the above recommendation and necessary legislation to withdraw the protection from the Safety Match Industry will be undertaken in Parliament in due course. The existing rates of Customs duty will, however, continue.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India and a copy thereof be communicated to all concerned.

B. D. JAYAL, Jt. Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

संकल्प

टैरिफ

नई दिल्ली, १४ सितम्बर, १९६५

सं० १६ (१)-टैर/६४.—सेफ्टो मैच उद्योग का संरक्षण जारी रखने के विषय में टैरिफ आयोग ने टैरिफ आयोग अधिनियम १९५१ की धारा ११(ई०) और १३ के अन्तर्गत की गई जांच के आधार पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। उसने यह सिफारिश की है कि सेफ्टो मैच उद्योग को अनिश्चित काल के लिये जो संरक्षण मिला हुआ है उस अब समाप्त कर देना चाहिये।

२. सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है और सेफ्टो मैच उद्योग का संरक्षण समाप्त करने के लिए आवश्यक विधान संसद में यथा समय प्रस्तुत किया जायेगा। सीमा-शुल्क की वर्तमान दरें चालू रहेंगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाय और इसकी एक-एक प्रति समस्त संबंधों को भेज दी जाय।

बी० डी० जयाल,

संयुक्त सचिव।